सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–2018 में पुनर्मूल्यांकन के उपरान्त अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु ऑन लाइन पंजीकरण फार्म भरने के लिये तकनीकी ऑपरेशन सम्बन्धी दिशा–निर्देश –

सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां **अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लैटर्स** में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियाँ एक ही अंक पद्धति में अंकित की जानी हैं। प्रविष्टियां भरने में स्पेशल करैक्टर (#, @ ,$,%,^, &, *,( ), _, -, = इत्यादि) का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

नोट – शासनादेश संख्या–204/68–5 –2019–2237/17 दिनांक 27 फरवरी, 2019 के अनुक्रम में पुनर्मूल्यांकन के उपरान्त अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक आवेदन पत्र भरा जायेगा जिसमें वह अनिवार्य रूप से प्रदेश के 75 जनपदों हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण वेबसाइट पर प्रदर्शित जनपदवार अपने वर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष करेगा।

अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन फार्म को फाइनल सेव करने से पूर्व अंकित प्रविष्टियों को जॉच ले एवं भरे गये जनपद के वरीयता क्रम से भली भॉति संतुष्ट हों ले क्योंकि एक बार फाइनल सेव होने के उपरान्त दिये गये जनपद विकल्प की वरीयता में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा।

ऑनलाइन फार्म भरने की प्रकिया निम्नवत् है –

1. अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पेज पर Step-2 के अन्तर्गत **ऑनलाइन आवेदन करें** लिंक पर क्लिक करेंगे।
2. तद्पश्चात् सहायक अध्यापक भर्ती 2018 लिखित परीक्षा हेतु निर्गत अनुक्रमांक, जन्मतिथि एवं मोबाइल नं0 (जो सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा 2018 ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया गया हो) अंकित करते हुए, मोबाइल नं0 पर प्राप्त OTP की सहायता से लॉगिन करेगें।
3. लॉगिन होने के पश्चात् अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के फार्म में क्रम सं0 1 से 13 तक सहायक अध्यापक भर्ती लिखित षरीक्षा 2018 हेतु आनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियॉ, अभ्यर्थी की फोटो सहित प्रदर्शित होगी। प्रदर्शित प्रविष्टियों में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
4. क्रम सं0 14 पर यदि अभ्यर्थी शिक्षामित्र के रूप में नियुक्ति तिथि से अद्यतन् सतत कार्यरत् है तो उसे कार्यरत् विद्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचनाओं को अंकित करना होगा।
5. क्रम सं0 15 पर अभ्यर्थी को अपने वैवाहिक स्थिति का विवरण देना होगा।
6. क्रम सं0 16 पर अभ्यर्थी को अपने फोटो पहचान पत्र प्रकार तथा फोटो पहचान पत्र सं0 को अंकित करना होगा।
7. क्रम सं0 17 तक राष्ट्रीयता का उल्लेख करें।
8. क्रम सं0 18 पर अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में निरन्तर निवास की स्थिति का उल्लेख करना होगा।
9. क्रम सं0 19 पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जनपद में रिक्त पदों के सापेक्ष जनपद विकल्प की वरीयता क्रम का अंकन करेंगे। इस हेतु अभ्यर्थियों को उ0प्र0 के 75 जनपदों का नाम एवं जनपद के नाम के सम्मुख एक खाली बॉक्स प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थियों को ऐच्छिक

जनपद के सम्मुख विकल्प का वरीयता क्रम (1 से 75 तक) अंकित करना होगा। अभ्यर्थी प्रदेश के 75 जनपदों हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण वेबसाइट पर प्रदर्शित जनपदवार अपने वर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष करेगा।

10. वरीयता क्रम को अंकन करने के उपरान्त अभ्यर्थी दी गयी घोषणा को स्वीकार करते हुए स्क्रीन पर दिये गये कैपचा कोड को अंकित करेंगे।
11. तद्पश्चात् अभ्यर्थी SUBMIT बटन को क्लिक करते हुए अभ्यर्थी अपने आवेदन को फाइनल सेव करेंगे।
12. फाइनल सेव करने के उपरान्त अभ्यर्थी को Step-3 के अन्तर्गत पूर्व में अंकित किये गये अनुक्रमांक, जन्मतिथि एवं मोबाइल नं0 को अंकित करते हुए, मोबाइल नं0 पर प्राप्त OTP की सहायता से ऑनलाइन आंवदेन का प्रिन्ट लेना होगा।
13. अभ्यर्थी को आवंटित किये गये जनपद में काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।